न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 7/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 2.7.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

कल्याणलाल मीणा आत्मज स्व0 जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भीया तहसील व थाना केशवरायपाटन जिला बूंदी राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 20.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा आदेश संख्या–125 दिनांक 15.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 646/JUD/77 को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक बूदी से नवीनीकरण के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी ने रिपोर्ट कमाकः डीएसबी/बूंदी/ए–(10) एआरएम. आरआईएन(आर)/17/2620 दिनांक 31.3.2017 से अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण सं0 99/78 धारा 323, 324 आईपीसी में दर्ज किया गया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.1982 को राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही से आदेश संख्या 125 दिनांक 15.6.2017 से शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर धारित 12 बोर एसबीबीएल गन नं0 54940 को थाना के0 पाटन मे जमा कराने का आदेश पारित किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही सुनवाई एवम् जवाबदेही करने शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट मे वर्णित उक्त फौजदारी प्रकरण दिनांक 8.6.1982 बरूये राजीनामा बरी किया जा चुका है अन्य कोई फौजदारी प्रकरण कभी दर्ज नही हुआ है ना ही विचाराधीन है। उक्त फौजदारी प्रकरण मे भी शस्त्र के दुरूपयोग किये जाने का कोई आरोप नही था। उक्त अनुज्ञापत्र कई मर्तबा नवनीकृत हो चुका है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर अनुज्ञापत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपीलांट शांतिप्रिय, अच्छे

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

चरित्र का नागरिक है तथा वरिष्ठ सी0एल0जी0 सदस्य है तथा सेवानिवृत अध्यापक है। आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नही है। अपीलांट को आत्मरक्षा के लिये गन की आवश्यकता है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत हो रहा था तथा पूर्व मे भी शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण, गलत एवं मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। बसूरत दिगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश अपीलांट को जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण, गलत एवं मनमानी है क्योंकि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे जिस आपराधिक फौजदारी प्रकरण का उल्लेख किया गया है उसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 8.6.1982 को बरूये राजीनामा बरी किया जा चुका है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण नही है। शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई आरोप नही है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र 1977 से लगातार दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत होता रहा है। ऐसी स्थिति मे पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही करने की अनुशंसा रिपोर्ट एक पक्षीय मनमानी एवं गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय मनमानी एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त कर शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

5 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 31.3.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 99/77 धारा 323, 324 आईपीसी मे दर्ज किया जाकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.1982 को राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया। अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावे।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलबध आधार अभिलेख पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 99/77 धारा 323, 324 आईपीसी मे दर्ज किया जाकर चालान न्यायालय मे पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.1982 को राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया। अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी रिपोर्ट दिनांक 7.3.2017 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही कर जेरअपील आदेश दिनांक 125 दिनांक 15.6.2017 से तत्काल प्रभाव से निरस्त (रिवोक) किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जेरअपील आदेश अपीलांट को जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण, गलत एवं मनमानी है, क्योंकि रिपोर्ट मे जिस आपराधिक फौजदारी प्रकरण का उल्लेख किया गया है उसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 8.6.1982 को बरूये राजीनामा बरी किया जा चुका है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज एवं विचाराधीन नही है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र 1977 से लगातार दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की एक पक्षीय मनमानी एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 646/JUD/77 दिनांक 31.12.2016 तक

समय–समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक फौजदारी प्रकरण सं0 99/77 धारा 323, 324 आईपीसी मे अपीलार्थी को बरूये राजीनामा बरी किया गया है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र का समय–समय पर नवीनीकरण किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत किया गया है। पुलिस रिपोर्ट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अन्य ऐसे कोई तथ्य इगित/उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता हो तथा लोकशांति व लोकसुरक्षा के मध्य नजर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त (रिवोक) किया जाना आवश्यक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना तथा अपीलांट को जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा पारित आदेश सं0 125 दिनांक 15.6.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय/आदेश पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा भाग